NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय और भारत में जवाबदेही का अभाव

www.nextias.com

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय और भारत में जवाबदेही का अभाव

संदर्भ

- हाल ही में, न्यायाधीश नवी पिल्लै को अंतरराष्ट्रीय विधि को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे व्यापक अत्याचारों से निपटने के लिए भारत की घरेलू विधिक व्यवस्था पर पुनः बहस शुरू हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय को समझना (ICJ)

- इसका उद्देश्य मानवता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाले अपराधों के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, पीड़ितों की रक्षा करना तथा भविष्य में ऐसे अत्याचारों की पुनरावृत्ति रोकना है। यह देशों की सीमाओं के भीतर और सीमाओं के पार किए गए अपराधों पर लागू होता है।
- यह व्यवस्था चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अपराधों को मान्यता देती है:
  - **नरसंहार :** किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से किए गए कृत्य।
  - **मानवता के विरुद्ध अपराध :** नागरिक जनसंख्या के विरुद्ध व्यापक अथवा सुनियोजित हमले, जिनमें हत्या, यातना, उत्पीड़न और दासता जैसे कृत्य शामिल हैं।
  - **युद्ध अपराध :** अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि (IHL) का गंभीर उल्लंघन, जिसमें नागरिकों पर जानबूझकर आक्रमण करना तथा युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार करना शामिल है।
  - **आक्रामकता का अपराध :** एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध सशस्त्र बल के गंभीर अवैध प्रयोग के लिए उच्चस्तरीय नेतृत्व की जिम्मेदारी।
- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना वर्ष 2002 में रोम संविधि, 1998 के अंतर्गत इन अपराधों के अभियोजन के लिए की गई थी।
- पूरकता के सिद्धांत के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अपराधों के अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय न्यायालयों की होती है।
- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः तभी हस्तक्षेप करता है, जब घरेलू प्राधिकारी वास्तविक न्यायिक कार्यवाही संचालित करने के इच्छुक न हों अथवा ऐसा करने में सक्षम न हों।

भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताएँ

भारत ने व्यापक अत्याचारों की रोकथाम और उनके लिए दंड सुनिश्चित करने से संबंधित अनेक अंतरराष्ट्रीय दायित्व स्वीकार किए हैं।

- **नरसंहार अभिसमय, 1948:** भारत ने वर्ष 1959 में इसका अनुमोदन किया तथा नरसंहार की रोकथाम और दंड सुनिश्चित करने संबंधी दायित्व स्वीकार किए।
- **जेनेवा अभिसमय, 1949:** वर्ष 1950 में अनुमोदित इन अभिसमयों के अंतर्गत सशस्त्र संघर्षों के दौरान नागरिकों, युद्धबंदियों और अन्य असुरक्षित व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):** भारत ने सोमालिया (1992) और लीबिया (2011) सहित आंतरिक संकटों को अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा मानने वाले प्रस्तावों का समर्थन किया है।
- **भारत में संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 51(ग) अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है, जबकि अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
  - हालाँकि, भारत रोम संविधि का पक्षकार नहीं है। किंतु इससे भारत को घरेलू कानूनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अत्याचारों को अपराध घोषित करने से नहीं रोका जाता है।

भारत के घरेलू आपराधिक कानून में विद्यमान खामियाँ

- **अत्याचार संबंधी विशिष्ट अपराधों का अभाव :** भारत के आपराधिक कानून में नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों को विशिष्ट अपराधों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
  - वर्ष 1984 की सिख-विरोधी हिंसा से संबंधित *राज्य बनाम सज्जन कुमार (2018)* मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस विधायी कमी को रेखांकित किया था।
  - भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103 और 117 जैसे प्रावधानों के अंतर्गत हत्या, गंभीर चोट और समूह आधारित हिंसा के लिए दंड का प्रावधान है।
  - हालाँकि, ये प्रावधान अंतरराष्ट्रीय अत्याचार संबंधी अपराधों की विशिष्ट प्रकृति को पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं करते हैं।
  - इससे 'निष्पक्ष अपराध-नामकरण' का सिद्धांत प्रभावित होता है, जिसके अनुसार आपराधिक कानूनों में अपराधों की गंभीरता और प्रकृति का सटीक प्रतिबिंब होना चाहिए।
- **युद्ध अपराधों का सीमित दायरा :** जेनेवा अभिसमय अधिनियम, 1960 मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों से जुड़े गंभीर उल्लंघनों को अपराध घोषित करता है। इसकी प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं:
  - प्रथागत युद्ध अपराधों तथा गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के दौरान होने वाले उल्लंघनों का अपर्याप्त समावेश।
  - धारा 17 अभियोजन को सरकार अथवा अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई शिकायत तक सीमित करती है।
  - सैन्य न्यायालय (कोर्ट मार्शल) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों का सीधे अभियोजन नहीं कर सकते, जिससे सैन्य जवाबदेही की व्यवस्था सीमित हो जाती है।
  - यद्यपि यह अधिनियम कुछ गंभीर उल्लंघनों के लिए अधिकतम 14 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान करता है, तथापि सामान्य आपराधिक कानूनों के प्रावधान ऐसे कृत्यों से निपटने के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं।
- **आंतरिक सशस्त्र संघर्षों की चुनौती :** आंतरिक सशस्त्र संघर्षों के दौरान अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि सरकारें लंबे समय तक जारी हिंसा को आंतरिक अशांति के रूप में वर्गीकृत कर सकती हैं।
  - अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि (IHL) के अंतर्गत गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष (NIAC) की पहचान दो वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर की जाती है:
    - शत्रुता की तीव्रता।
    - सशस्त्र समूहों का संगठनात्मक स्वरूप।
  - इस प्रकार का वर्गीकरण न तो विद्रोह को वैधता प्रदान करता है और न ही राज्य के सुरक्षा बनाए रखने के अधिकार को सीमित करता है।
- उदाहरण के लिए, *नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2011)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नक्सल-विरोधी अभियानों में सशस्त्र विशेष पुलिस अधिकारियों की तैनाती को असंवैधानिक घोषित किया तथा सलवा जुडूम से जुड़ी कथित ज्यादतियों की जाँच के निर्देश दिए।
  - हालाँकि, इस निर्णय में हिंसा को विशेष रूप से गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष (NIAC) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया और न ही कथित अपराधों की जाँच युद्ध अपराधों के दृष्टिकोण से की गई।

संबंधित प्रयास एवं पहल

- **वैश्विक स्तर पर:** नूर्नबर्ग मुकदमों, रवांडा और पूर्व यूगोस्लाविया के लिए गठित न्यायाधिकरणों तथा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने व्यक्तिगत आपराधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है।
- **भारत में:** भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम व्यापक आपराधिक न्याय सुधारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- अबू धाबी में आयोजित अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र की 15वीं कांग्रेस (सितंबर 2026) में भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित जाँच, त्वरित न्याय और अंतरराष्ट्रीय विधिक सहयोग पर बल दिया।
  - हालाँकि, व्यापक अत्याचारों से संबंधित अपराधों के लिए विशिष्ट सुधार अभी भी आवश्यक हैं।

आगे की राह: विश्वसनीय जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण

- **व्यापक विधायी व्यवस्था:** नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराधों को पृथक अपराधों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इसमें आंतरिक सशस्त्र संघर्षों के दौरान होने वाले गंभीर उल्लंघनों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- **स्वतंत्र जाँच व्यवस्था:** राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच के लिए विश्वसनीय एवं स्वतंत्र तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।
- **सैन्य जवाबदेही:** सशस्त्र बलों में अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि संबंधी प्रशिक्षण, कमान संबंधी उत्तरदायित्व और अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **पीड़ित-केंद्रित न्याय:** गवाहों की सुरक्षा, मुआवजे, पुनर्वास और कानूनी उपचारों तक पहुँच को बेहतर बनाया जाना चाहिए।
- **संस्थागत सुरक्षा उपाय:** राष्ट्रीय सुरक्षा और विधिसम्मत प्रक्रिया को बनाए रखते हुए अभियोजन व्यवस्था पर कार्यपालिका के अत्यधिक नियंत्रण को कम किया जाना चाहिए।
- **वैश्विक सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय न्याय संस्थाओं के साथ सहयोग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा घरेलू सुधारों के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता को अनिवार्य शर्त नहीं माना जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत के 'विश्वगुरु' बनने के लक्ष्य को न्याय के प्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। वास्तविक संप्रभुता तब सुदृढ़ होती है, जब कोई राज्य गंभीर अपराधों के दोषियों को जवाबदेह ठहराता है, न कि इससे कमजोर होती है।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और घरेलू स्तर पर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच के अंतर को समाप्त कर मानव गरिमा की रक्षा करने तथा दंडमुक्ति की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

स्रोत: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए भारत की घरेलू विधिक व्यवस्था में विद्यमान कमियों का परीक्षण कीजिए। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए व्यापक अत्याचारों के लिए जवाबदेही किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है?

■■■■